

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (पी-240) अलेसे-1/ 8।

दिनांक:- 19/04/2018.

संशोधन आदेश

पूर्व विभागीय आदेश संख्या 1379 दिनांक 08.03.2018 के द्वारा श्री पूरणदास बलाई (लिक नम्बर 4830), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 का राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत दिनांक 18.10.2017 से 21.12.2017 तक के मूल वेतन का 50 प्रतिशत निर्वाह भत्ता एतद् द्वारा स्वीकृत किया गया था। जिसमें अंकित दिनांक "18.10.2017 से 21.12.2017" के स्थान पर दिनांक "18.10.2017 से 20.12.2017" तक पढ़ा जावे।

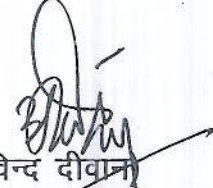

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (पी-240) अलेसे-1/ 8।

दिनांक:- 19/04/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
- 2 निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
- 3 अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)।
- 4 श्री पूरणदास बलाई, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
- 5 उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 6 अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदया।
- 7 रक्षित पत्रावली।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)